

फारम-VIII-क
कार्यालय नगर परिषद फुलवारी शरीफ
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या-8(4)

आपके आवेदन संख्या 2332/2005000/1 तिथि के संदर्भ में
 श्री शिवराज चौधरी S/c- श्री चौधरी कमल
 P.M. R.M. रफ़ीक़ विमानडेटक

- (क) आवासीय भवन के निर्माण।
- (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण।
- (ग) भवन के पुनः
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन।
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन।

हेतु नगर परिषद फुलवारी शरीफ क्षेत्र बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन स्कीम के प्लॉट नं०-
 311 खाता नं० 475 तौजी नं० 5804 थाना नं० 38
 मौजा ए.ए.ए. फुलवारी शरीफ पता थाना फुलवारी शरीफ, जिला-पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/
 निर्वर्धनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं० है, जिसका निर्माण
 क्षेत्रफल 2028.85

..... वर्गमीटर
 एवं B+G+S की स्वीकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 3.25 वर्गमीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 13.5 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्रुत भूमि आवेदक को विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) कब्जा को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन
- (ज) बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजनास्कीन के अधीन आच्छादित सुसंगत प्रयोजन के अनन्य नगर परिषद फुलवारी शरीफ आयोजना क्षेत्र में वर्गमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (झ) अनुमति (अनुमति) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिनान्य होगी। इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख को कारण या अधिकार / हक /हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान अनुमोदन स्वतः रह समझी जायेगी।
- (ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियोजी (RERA), 2017 को शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निदान कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दातालेजो / गजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की वृष्टि/ हेर-फेरकपटा रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरुकित जाये गाविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति सम्पूर्ण गावाबदेही आवेदक की होगी एवं विधिसम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act जाना अनिवार्य होगा। की स्वीकृति दी जाती है :-
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2017 के अंतर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरांत ही भवन का निर्माण करना होगा।



अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एतं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अंतर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरांत ही भवन का निर्माण करना होगा।

(क) अन्य शर्त।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं बिहार भवन उपविधि, 2014 के संगत प्रावधानों का अधारस. अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

प्रभारी लिथिक 11/01/22

प्रधान लिपिक

कनीय अभियंता सहायक अभियंता 11/01/22

नगर कार्यपाक पदाधिकारी 11/1/22

नगर परिषद फुलवारी शरीफ

ज्ञापांक: दिनांक:.....

प्रतिलिपि: -मेसर्स / श्री / श्रीमती पिता -

पता पटना की सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपाक पदाधिकारी 11/1/22

नगर परिषद फुलवारी शरीफ

